आकाशवाणी श्री विजयपुरम

01.07.2026 समय : 1905

1. आकाशवाणी श्री विजयपुरम् के क्षेत्रीय समाचार एकांश ने जन सेवा और विश्वसनीय सूचना प्रसारण की गौरवशाली यात्रा के इक्यावन वर्ष पूरे किए।

2. केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को आज से लागू कर दिया है।

3. सांसद बिष्णु पद रे ने मछुआरों को कृषि समान लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा।

4. एम वी कैम्पबेल बे तीन जुलाई को राजधानी श्री विजयपुरम् से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा।

<><><><><><><>

आकाशवाणी श्री विजयपुरम् के समाचार प्रभाग के क्षेत्रीय समाचार एकांश ने अपने प्रसारण के 51 वर्ष पूरे होने पर स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। यह आर एन यू उन्नीस सौ पिच्हत्तर में आज ही के दिन शुरू हुआ था। इस अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में आकाशवाणी की जनसेवा, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में दीर्घकालीन योगदान को याद करते हुए वक्ताओं ने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उप महानिदेशक सी. सुब्बाराव, उप उपनिदेशक डी. नरसिम्हा, सहायक निदेशक (हिन्दी प्रभाग) दीपक कुमार तिवारी तथा सहायक निदेशक (कार्यक्रम) मीना प्रकाश सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने आकाशवाणी श्री विजयपुरम् की 51 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस केंद्र ने द्वीपसमूह की संस्कृति, भाषा, लोक परंपराओं और स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं सेवानिवृत्त समाचार वाचक राकेश चन्द्र लाल ने कहा कि आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में विश्वसनीय सूचना के माध्यम के रूप में भी आकाशवाणी की भूमिका सराहनीय रही है।

इस अवसर पर अधिकारियों ने आकाशवाणी से जुड़े वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए भविष्य में भी जनहित, विकास और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों को और प्रभावी ढंग से प्रसारित करने का संकल्प व्यक्त किया। समारोह में कर्मचारियों ने भी केंद्र की उपलब्धियों को साझा करते हुए आगामी वर्षों में श्रोताओं तक और बेहतर कार्यक्रम पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

<><><><><><><>

विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन – जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पिच्चानवे हजार छ सौ बानवे करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के दो सौ अटठानबे रुपये अस्सी पैसे से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत तीन सौ सत्ताईस रुपये चालीस पैसे प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में दस प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। इक्कीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी तीन सौ रुपये से कम थी वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है।

<><><><><><><>

पिछले नौ वर्षों में वस्तु और सेवा कर– जी एस टी ने भारत के एक भारत – श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जी एस टी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। यह दो हजार सत्रह में पहली जुलाई से लागू हुई थी।

<><><><><><><>

सांसद विष्णु पद रे ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र अंडमान एवं निकोबार के सांसद विष्णु पद रे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के 28 जून 2024 के उस निर्णय को शीघ्र लागू करने का अनुरोध किया है, जिसके तहत मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के समान सुविधाएं और अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मत्स्य एवं जलीय कृषि क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के समान रियायती बिजली दर, जलापूर्ति कनेक्शन, डीजल सब्सिडी तथा अन्य कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन से अंडमान एवं निकोबार के मछुआरों, मत्स्य पालकों, मत्स्य सहकारी समितियों तथा इस क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों को लाभ मिलेगा। सांसद ने केंद्र सरकार से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

<><><><><><><>

एम.वी कैंपबेल बे 3 जुलाई को शाम 4 बजे श्री विजयपुरम से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा। जहाज पर अतिरिक्त सामान चढ़ाने का कार्य कल दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक की जाएगी।

<><><><><><><>

कृषि विभाग ने किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरकों का पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के लिए फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल नामक डिजिटल प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रणाली मोबाइल एप, प्वाइंट ऑफ सेल सिस्टम और एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी होगी। नई व्यवस्था के तहत किसान मोबाइल एप के माध्यम से पहले से उर्वरकों के लिए आवेदन कर सकेंगे, स्टॉक आरक्षित करा सकेंगे तथा क्यूआर कोड अथवा टोकन आधारित आवंटन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही सभी लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा, जिससे उर्वरकों का वितरण अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगा। इस प्रणाली के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वीपसमूह के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि उप–डिपो, क्षेत्रीय कृषि कार्यालय अथवा किसान कॉल सेंटर 03192–243434 पर संपर्क कर सकते हैं।

<><><><><><><>

आकाशवाणी श्री विजयपुरम की पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका अनीस बेगम का आज सुबह जी. बी. पंत अस्पताल में निधन हो गया। वह तिरासी वर्ष की थीं। श्रीमती अनीस बेगम ने 13 फरवरी उन्नीस सौ सत्तर को आकाशवाणी में अपनी सेवाएँ प्रारंभ की थीं। उन्होंने लगभग 33 वर्षों तक समर्पण एवं निष्ठा के साथ अपनी सेवाएँ प्रदान कीं और 31 अक्टूबर 2003 को सेवानिवृत्त हुईं। आकाशवाणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके निधन पर शोक संवेदनाएँ प्रकट की हैं।

<><><><><><><>

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, श्री विजयपुरम को अपनी अभिनव एकीकृत निगरानी एवं संदूषण–नियंत्रित फ्लाई रियरिंग यूनिट के डिजाइन के लिए पंजीकरण प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि संस्थान की अनुसंधान एवं नवाचार क्षमता को नई पहचान दिलाने वाली मानी जा रही है। संस्थान द्वारा विकसित यह उन्नत प्रणाली घरेलू मक्खियों और मांसाहारी मक्खियों का संदूषण–मुक्त पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस इकाई के माध्यम से वैज्ञानिक नियंत्रित एवं स्वच्छ वातावरण में मक्खियों का पालन कर उनके व्यवहार, जीवन चक्र तथा नियंत्रण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर प्रभावी अनुसंधान कर सकेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यह तकनीक मक्खियों से फैलने वाले रोगों की रोकथाम, उनके प्रभावी नियंत्रण तथा कीट प्रबंधन से जुड़े अनुसंधानों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।